#### <u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आप. प्रक. क.-297 / 2012</u> संस्थित दिनांक-11.04.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,	
जिला—बालाघाट (म.प्र.)	अभियोजन

#### विरुद्ध

- 1. रूशीलाबाई पति रज्जुदास पनिका, उम्र 39 साल, जाति पनिका, निवासी बाहकलवाही थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)
- लखन पिता मुन्नेलाल मरार, उम्र 37 साल, जाति मरार,
  निवासी बाहकलवाही थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)
- दुन्नु पिता पुन्नुलाल मरार, उम्र 35 साल, जाति मरार,
  निवासी बाहकलवाही थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)
- मनोज पिता लखन मरार, उम्र 20 साल, जाति मरार, निवासी बाहकलवाही थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)

जारापागण

# −ः निर्णय ः–

### (आज दिनांक 31/10/2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34 (काउन्टस—2) एवं 506 (भाग—2) का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 21.03.2012 समय करीब 08:00 बजे ग्राम छोटा बाहकलवाही में फरियादी मुन्नीबाई को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं

आरोपीगण ने सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी/आहत मुन्नीबाई एवं बैलाकलीबाई को लात से मारकर स्वैच्छया उपहित कारित की तथा जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया मुन्नीबाई ने दिनांक 31.03.2012 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि उसने दिनांक 21.03.2012 को रूशीलाबाई को बोला कि आने जाने का रास्ता छोड़कर मकान बनाओ तो रूशीलाबाई ने उसे माँ बहन की गन्दी—गन्दी गालिया दी और उण्डा लेकर मारने दोड़ी और लखन, दुन्नु और मनोज ने उसे लात घुसों से मारा उसकी लड़की बैलाकलीबाई बीच—बचाव करने आयी तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की जिससे उसे चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक 44/12 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 506, 34 के अन्तर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
- (03) आरोपीगण को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323/34(काउन्टस–2), 506 (भाग–2) का आरोप–पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण्ण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।
- (04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादिया ने जमीन के विवाद को लेकर रंजिश वश पुलिस से मिलकर उनके विरूद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उन्हें झूंठा फंसाया है।
- (05) आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-
  - (अ) क्या आरोपीगण ने दिनांक 21.03.2012 समय करीब 08:00 बजे ग्राम छोटा बाहकलवाही में

फरियादी मुन्नीबाई को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?

- (ब) क्या आरोपीगण ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर सह आरोपीगण के साथ मिलकर फरियादिया मुन्नीबाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया/आहत मुन्नीबाई एवं बैलाकलीबाई को लात से मारकर स्वैच्छया उपहित कारित की ?
- (स) क्या आरोपीगण ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया मुन्नीबाई को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

#### —::<u>सकारण निष्कर्ष</u>्यः

## विचारणीय बिन्दु कमांक 'अ', 'ब', एवं 'स', :--

- (06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब', एवं 'स', का एक साथ विचार किया जा रहा है।
- (07) अभियोजन साक्षी / फरियादिया मुन्नीबाई (अ.सा.01) का कहना है कि ध तिना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी 08:00 बजे उसके घर के पास की है। आरोपी रूशीलाबाई को उसने बोला कि रास्ता छोड़कर मकान बनाओ तो रूशीलाबाई एवं आरोपी लखन, दुन्नु, मनोज ने उसके लकड़ी से एवं लात घुसों से मारपीट की थी जिससे उसे चोट आयी थी। घटना उसकी बहन शांतिबाई और उसके घरवालों ने देखी थी उसका ईलाज अस्पताल में करवाया था और घटना की रिपोर्ट पुसिल थाना मलाजखण्ड में की थी जो प्रदर्शपी— 01 है। पुलिस ने घटनास्थन

का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था।

- (08) अभियोजन साक्षी / कायमीकर्ता एस.डी.डोंगरे (अ.सा.०६) का कहना है कि दिनांक 21.03.2012 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए प्रार्थी मुन्नीबाई ढीमर निवासी बाहकल की रिपोर्ट पर से आरोपीगण रूशीलाबाई, लखन मरार, दुन्नु मरार, मनोज के विरुद्ध अपराध क्रमांक 44 / 12 अन्तर्गत धारा 294, 323 / 34, 506 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था जो प्रदर्श पी—01 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता जैनेन्द्र उपराडे (अ.सा.०७) का कहना है कि दिनांक 21.03.2012 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए अपराध क्रमांक 44 / 12 की केश डायरी की विवेचना के दौरान उसने प्रार्थी मुन्नीबाई की निशादेही पर प्रदर्श पी—02 का मौका नक्शा तैयार किया था। प्रार्थी मुन्नीबाई साक्षी बैलाकलीबाई, राजाराम, शांतिबाई के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 04.04.2012 को आरोपी रूशीलाबाई, लखनसिंह, दुन्नु, मनोज को साक्षी रमेश एवं राधेलाल के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—5, 6, 7, 8 तैयार किया था।
- (09) अभियोजन साक्षी / डॉक्टर एल.एन.एस. उइके (अ.सा.03) का कहना है कि दिनांक 21.03.2012 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुए आहत मुन्नीबाई पित सूरजलाल उम्र 35 साल जाति ढीमर निवासी छोटा बाहकलवाही का चिकित्सीय परीक्षण किया था चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—03 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत बैलाकलीबाई का चिकित्सीय परीक्षण किया था जो प्रदर्श पी—04 है।
- (10) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी शांतिबाई, (अ.सा.02), बैलाकलीबाई (अ.सा.05), राजाराम, (अ.सा.04) का भी कहना है कि घटना उनके कथन के एक—दो वर्ष पुरानी है। फरियादिया मुन्नीबाई ने आरोपीगण से बोला कि रास्ता छोड़कर मकान बनाओं तो आरोपीगण फरियादिया को लात घुसों एवं लकड़ी से मारपीट कर रहे थे वह बचाने के लिये गये तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट की थी मार डालोंगे काट डालोंगे की धमकी दी थी।
- (11) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है

फरियादिया ने जमीन के विवाद को लेकर रंजिश वश पुलिस से मिलकर उनके विरूद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उन्हें झूंठा फंसाया है व असत्य कथन न्यायालय में किये है। अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

- (12) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।
- (13) अभियोजन साक्षी / फरियादिया मुन्नीबाई (अ.सा.०1) का स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी 08:00 बजे उसके घर के पास की है। आरोपी रूशीलाबाई को उसने बोला कि रास्ता छोड़कर मकान बनाओ तो रूशीलाबाई एवं आरोपी लखन, दुन्नु, मनोज ने उसके लकड़ी से एवं लात घुसों से मारपीट की थी जिससे उसे चोट आयी थी। घटना उसकी बहन शांतिबाई और उसके घरवालों ने देखी थी उसका ईलाज अस्पताल में करवाया था और घटना की रिपोर्ट पुसिल थाना मलाजखण्ड में की थी जो प्रदर्शपी— 01 है। पुलिस ने घटनास्थन का मौका नक्शा प्रदर्श पी—02 तैयार किया था। फरियादिया के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।
- (14) अभियोजन साक्षी / कायमीकर्ता एस.डी.डोंगरे (अ.सा.०६) का भी स्पष्ट कहना है कि दिनांक 21.03.2012 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए प्रार्थी मुन्नीबाई ढीमर निवासी बाहकल की रिपोर्ट पर से आरोपीगण रूशीलाबाई, लखन मरार, दुन्नु मरार, मनोज के विरुद्ध अपराध क्रमांक 44 / 12 अन्तर्गत धारा 294, 323 / 34, 506 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था जो प्रदर्श पी—01 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता जैनेन्द्र उपराडे (अ.सा.०७) का स्पष्ट कहना है कि दिनांक 21.03.2012 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरतृ रहते हुए अपराध क्रमांक 44 / 12 की केश डायरी की विवेचना के दौरान उसने प्रार्थी मुन्नीबाई की निशादेही पर प्रदर्श पी—02 का मौका नक्शा तैयार किया था। प्रार्थी मुन्नीबाई साक्षी बैलाकलीबाई, राजाराम, शांतिबाई के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 04.04.2012 को आरोपी रूशीलाबाई, लखनिसेंह, दुन्नु, मनोज को साक्षी रमेश एवं राधेलाल के समक्ष गिरफ्तार कर

गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—5, 6, 7, 8 तैयार किया था। साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

- (15) अभियोजन साक्षी / डॉक्टर एल.एन.एस. उइके (अ.सा.०३) का कहना है कि दिनांक 21.03.2012 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुए आहत मुन्नीबाई पित सूरजलाल उम्र 35 साल जाति ढीमर निवासी छोटा बाहकलवाही का चिकित्सीय परीक्षण किया था चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—03 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत बैलाकलीबाई का चिकित्सीय परीक्षण किया था जो प्रदर्श पी—04 है।
- (16) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी शांतिबाई, (अ.सा.02), बैलाकलीबाई (अ.सा.05), राजाराम, (अ.सा.04) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना उनके कथन के एक—दो वर्ष पुरानी है। फरियादिया मुन्नीबाई ने आरोपीगण से बोला कि रास्ता छोड़कर मकान बनाओं तो आरोपीगण फरियादिया को लात घुसों एवं लकड़ी से मारपीट कर रहे थे वह बचाने के लिये गये तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट की थी मार डालेंगे काट डालेंगे की धमकी दी थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों का भी प्रतिपरीखण में खंडन नहीं हुआ है जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।
- (17) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फिरयादी मुन्नीबाई (अ.सा.01) एवं साक्षी/कायमीकर्ता एस.डी.डोंगरे (अ.सा.06) व विवेचनाकर्ता जैनेन्द्र उपराडे (अ.सा.07) तथा साक्षी शांतिबाई, (अ.सा.02), बैलाकलीबाई (अ.सा.05), राजाराम, (अ.सा.04) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे कि साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये कि आरोपीगण ने दिनांक 21.03.2012 समय करीब 08:00 बजे ग्राम छोटा बाहकलबाही में फिरयादिया मुन्नीबाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में फिरयादिया/आहत मुन्नीबाई एवं बैलाकलीबाई को लात से मारकर स्वैच्छया उपहित कारित की। किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी मुन्नीबाई, शान्तिबाई, बैलाकलीबाई, राजाराम के कथनों से यह परिलक्षित नहीं होता है कि आरोपीगण द्वारा अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ

कारित किया एवं जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- (18) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादिया फरियादिया ने जमीन के विवाद को लेकर रंजिश वश पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर आरोपीगण झूठा फंसाया है एवं असत्य कथन किये है। किन्तु इस सम्बन्ध में आरोपीगण के अधिवक्ता ने कोई ऐसी साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि फरियादिया ने जमीन के विवाद हो लेकर आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर आरोपीगण झूठा फंसाया है।
- (19) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण दिनांक 21.03.2012 समय करीब 08:00 बजे ग्राम छोटा बाहकलवाही में फरियादिया मुन्नीबाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया / आहत मुन्नीबाई एवं बैलाकलीबाई को लात से मारकर स्वैच्छया उपहित कारित की। किन्तु अभियोजन यह युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण द्वारा अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोम कारित किया एवं जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- (20) परिणाम स्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506(भाग—2) के अन्तर्गत दोषी न पाते हुये दोषमुक्त किया जाता है एवं आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/34 (काउन्टस—02) आहत मुन्नीबाई एवं बैलाकलीबाई को स्वैच्छया उपहित के आरोप के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- (21) प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी संतोष को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।
- (22) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित

किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)

पुनश्च :-

- (23) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।
- (24) आरोपीगण के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपीगण मजदूर पेशा ड्रायवर व्यक्ति हैं। अतः उन्हें कम से कम अर्थदण्ड से दिण्डत किया जावे।
- (25) अारोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।
- (26) प्रकरण का अवलोकन किया गया।
- (27) आरोपीगण की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है आरोपी मजदूर पेशा ड्रायवर व्यक्ति एवं नवयुवक होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु आरोपीगण ने दिनांक 21.03.2012 समय करीब 08:00 बजे ग्राम छोटा बाहकलवाही में फरियादिया मुन्नीबाई को उपहृति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया/आहत मुन्नीबाई एवं बैलाकलीबाई को लात से मारकर स्वैच्छया उपहृति कारित की। आरोपीगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को कम से कम अर्थदण्ड से दिण्डत करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपीगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/34 (काउन्टस—2) आहत मुन्नीबाई एवं बैलाकलीबाई को स्वैच्छया उपहृति कारिन करने के आरोप के अन्तर्गत प्रत्येक आहत के लिये 750—750/— रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपीगण को एक—एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(28) निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक आरोपीगण को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म०प्र०)

ALIHAND PORTO DE LA PRINTE DEL PRINTE DE LA PRINTE DEPURITE DE LA PRINTE DE LA PRIN